



पत्र संख्या : भाविप्रा/ नि.मु/ पीसी/2014

दिनांक : 30 जनवरी, 2014

महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)/ सं.म.प्र (वित्त व लेखा)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

दक्षिणी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ उत्तरी क्षेत्र/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

चेन्नई/ कोलकाता/ मुंबई/ दिल्ली/ गुवाहाटी

चेन्नई हवाईअड्डा/ ने.सु.चं.बो.अं. हवाईअड्डा/ चेन्नई परियोजना/ कोलकाता परियोजना

विषय : सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रतिपूर्ति किए गए चिकित्सा व्यय की कर देयता के संबंध में।

महोदय,

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा योजना के अनुसार चिकित्सा उपचार हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों को भुगतान किया जाए। भुगतान करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आयकर अधिनियम की धारा 17 के तहत एक वित्तीय वर्ष में रु.15,000/- से अधिक के भुगतान हेतु लागू दर पर आवश्यक आयकर की कटौती की जाए।

आयकर की लागू दर की जानकारी हेतु पूर्व / सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संलग्न प्रारूप में अपनी अनुमानित कर योग्य आय का विवरण प्रस्तुत करने को कहा जाए। घोषित अनुमानित कर योग्य आय के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई भी भुगतान करने से पहले लागू स्लैब दर के तहत आयकर की कटौती की जाए।

इस पत्र में निहित विषयवस्तु को समान रूप से कार्यान्वयन हेतु आपके क्षेत्र की सभी इकाइयों को अग्रेषित किया जाए।

भवदीय,

--हस्ता ०--

(जी.रविचंद्रन)

महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

संलग्न : यथोक्त।

प्रतिलिपि :

1. सदस्य मानव संसाधन/ वित्त के विशेष कार्याधिकारी
2. कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)/ मानव संसाधन
3. नकद अनुभाग, निगमित मुख्यालय
4. उप महाप्रबंधक (वित्त व लेखा) – सैप ईआरपी – चिकित्सा मॉड्यूल में प्रविष्टि हेतु।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भा.वि.प्रा. द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए चिकित्सा व्यय हेतु लागू दर का पता लगाने के उद्देश्य से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की अनुमानित कर योग्य आय की घोषणा

पूर्व कार्मिक का नाम :

पदनाम :

संबंध/ कार्मिक संख्या (नया) :

पैन नं. :

चिकित्सा कार्ड नं. :

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न स्रोतों से मेरी कर योग्य आय निम्नानुसार है :

रुपए

1. पेंशन
2. अन्य स्रोतों से ये :
 - a)
 - b)
 - c)

छूट : आयकर अधिनियम के अनुसार छूट

वित्तीय वर्ष 2013-14 का कर योग्य ये

लागू दर के अनुसार आयकर अधिनियम के तहत मुझको प्रतिपूर्ति/ भुगतान किए गए चिकित्सा व्यय से आयकर की कटौती की जाए।

किसी अनुचित घोषणा/ वचनबद्धता के कारण आयकर विभाग द्वारा ब्याज/ दंड की मांग किए जाने पर, मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार/ उत्तरदायी होऊंगा।

पूर्व कार्मिक के हस्ताक्षर

आवास का पता :

मोबाइल नं. :